(26)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1619-I/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–11–2004 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 107/पुनरीक्षण/1999–2000.

मदनलाल (मगनलाल)पुत्र नरसिंहलाल,
निवासी ग्राम गोदडा तहसील नलखेड़ा,
तहसील नलखेड़ा जिला शाजापुर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–जानकीलाल पुत्र मगनलाल जी
2–कंवरलाल पुत्र मगनलाल जी
3–विष्णुप्रसाद पुत्र मगनलाल जी
निवासीगण ग्राम गोदडा तहसील नलखेड़ा,
तहसील नलखेड़ा जिला शाजापुर म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 6/4/18 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 107/पुनरीक्षण/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 16–11–2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रामसिंह कथित दत्तक पुत्र खीमाजी एवं मृतक पारीबाई विधवा खीमाजी भील ने दिनांक 9–2–1982 को छानबीन समिति नलखेड़ा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि आवेदक ने पारीबाई को धोखा देकर ग्राम गोठड़ा की भूमि सर्वे नम्बर 2/3 रकबा 5.435 हेक्टेयर सर्वे नम्बर 0.826, सर्वे नम्बर 742/2 रकबा 0.230 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 580 रकबा 0.585 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 590 रकबा 2.184 हेक्टेयर सर्वे नम्बर 118 रकबा 1.829 हेक्टेयर कुल रकबा 11.089 विक्रय पंजीयन करा लिया तथा नामान्तरण भी हो चुका है अतः वादग्रस्त भूमि आवेदक से मुक्त करवाकर रामसिंह कथित दत्तक पुत्र खीमाजी व पारीबाई को वापस दिलवाई जाने के लिये आवेदन दिया । अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर ने प्रकरण क्रमांक 90/अ–23/1982–83 पंजीबद्ध कर पटवारी एवं हस्तान्तरण करने वाले पक्षकारों को सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिये । आवेदक एवं पटवारी उपस्थित हुये तथा आवेदक ने जबाव एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की, तत्पश्चात् प्रकरण साक्ष्य के लिये नियत किया गया । दिनांक 24–12–1983 को अनुविभागीय अधिकारी ने यह आदेशिका अंकित की कि चूँकि भूमि के बैध हस्तान्तरण का प्रमाण का भार आवेदक का है इसलिये प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसे प्रकरण क्रमांक 26/1985–86/निगरानी में पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 31–8–1987 को यह आदेश दिया कि अनुविभागीय अधिकारी इस बात की जॉच भी ध्यान देकर करें कि क्या ग्राम गोठडा तहसील सुसनेर जिला शाजापुर में विक्रय दिनांक को भूमि का मूल्य प्रति एकड़ रुपये 740/– या उसके आसपास ही था या उससे अधिक । मूल विक्रय पत्र प्रस्तुत करवाकर इस बात की भी जॉच करें कि विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 5–1–1980 को किया गया था या 8–9–1980 को । पारीबाई स्वयं जिलाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुई थी या नहीं तथा कितनी बार और किस उद्देश्य से तथा यदि विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 5–9–1980 को हुआ है तो विक्रेता पारीबाई की अंतिम उपस्थिति जिलाध्यक्ष के न्यायालय में किसी तिथि की थी और यदि पंजीयन दिनांक 5–1–1980 का है तो क्या दिनांक 30–8–1980 को दी गई । कथित अनुमति के आधार पर ऐसे विक्रय और उसके पंजीयन

को विधिवत और वैध माना जा सकेगा या नहीं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश के पालन में कार्यवाही प्रारंभ की गई इसी बीच दिनांक 19–4–1988 की आदेशिका अनुसार पारीबाई मृत हुई तथा प्रकरण में साक्ष्य हेतु कार्यवाही नियत की गई परन्तु दिनांक 12–10–1988 को आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–8–1987 के पालन में यह आदेशित किया कि अनुमति के संबंध में पारीबाई की उपस्थिति जिलाध्यक्ष के समक्ष थी या नहीं यह एक तथ्यात्मक बिन्दु है जिसकी जॉच उच्चाधिकारी के आदेशानुसार की जाना होगी । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे प्रकरण कमांक 26/1989–90/निगरानी में पंजीबद्ध कर दिनांक 29–4–1992 के आदेश के द्वारा निगरानी आवेदन स्वीकार कर यह निर्देश दिये कि आदेश दिनांक 31–8–1987 पर उपरोक्तानुसार जॉच कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण तीन माह में करने का आदेश दिया । इसके पश्चात् पुनः कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रारंभ हुई तथा पंजीयक से औसत मूल्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 13–10–1993 को उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद दिनांक 7–12–1993 को यह ठहराया कि संहिता की धारा 170–ख के अधीन किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रकरण में की जाना संभव नहीं है । इस आदेश के विरूद्ध रामसिंह ने अपील अपर कलेक्टर जिला शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत की जो पारित आदेश दिनांक 26–4–2000 से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश निरस्त किया तथा यह ठहराया कि गैर आदिवासी मगनलाल द्वारा दिनांक 5–9–1980 को अपनें पक्ष में आदिवासी पारीवाई से कराया गया ग्राम गोठड़ स्थित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्प्रभावी घोषित किया तथा वादग्रस्त भूमि आदिवासी पारीबाई के उत्तराधिकारी रामसिंह को सौंपने हेतु तहसीलदार नलखेड़ा को आदेशित किया । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–4–2000 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2004 से अस्वीकार हुई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2004 से परिवेदित होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पारीबाई से कय की गई है और पारीबाई द्वारा दिनांक 17–11–1978 को अपर कलेक्टर के समक्ष विक्रय की अनुमति के पूर्व रुपये 20,000/– प्रश्नाधीन भूमि का सौदा होना स्वीकार किया है । पारीबाई द्वारा कथन में यह भी स्वीकार किया गया है उसका कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं है और विक्रय पत्र का निष्पादन उसे स्वीकार है । इस स्थिति पर बिना विचार किये कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि इस प्रकरण में संहिता की धारा 170(क) एवं 170(ख) लागू नहीं होती है क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय कलेक्टर न्यायालय की अनुमति लेकर किया गया है तथा विक्रेता द्वारा सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल प्राप्त होना स्वीकार किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में विधिवत् सम्पूर्ण जॉच की जाकर आदेश पारित किया गया है ऐसे आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि विक्रय मूल्य बैंक में जमा किया जायेगा । तर्क में यह भी कहा गया कि पारीबाई प्रकरण में उपस्थित नहीं हुई है। प्रकरण में व्यवहार न्यायालय के जिस आदेश को विचार क्षेत्र में लिया गया है उसमें आवेदक के पक्ष में ही निष्कर्ष निकाले गये हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति के संबंध में कलेक्टर न्यायालय द्वारा दी गई है अनुमति को वैध माना है और व्यवहार न्यायालय के आदेश एवं डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने संबंधी तर्क प्रस्तुत किया गया ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण में व्यवहार न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय ने रामसिंह को मूल भूमिस्वामी आदिवासी पारीबाई का दत्तक पुत्र नहीं माना है, जबकि अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय में अपील रामसिंह ने ही प्रस्तुत की थी । प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है कि मूल आदिवासी भूमिस्वामी के वारिसों की जॉच की जाकर उन्हें अभिलेख में लिया जाकर प्रकरण में धारा 170(क)(ख) के संबंध में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देकर पुनः विस्तृत जॉच की जावे । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह मूल आदिवासी भूमिस्वामी के वंशजों की विस्तृत जॉच कर प्रकरण में पुनः निर्णय लेवें ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2004 एवं अपर कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–4–2000 निरस्त किये जाकर प्रकरण उक्त विशलेषण के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह मूल आदिवासी भूमिस्वामी के वंशजों की विस्तृत जॉच कर प्रकरण में पुनः निर्णय लेवें ।

( मनोज गोयल )
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.